

रजिस्टर्ड

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462021

दूरभाष 0755-2583650 ई-मेल est1-dpi@mp.gov.in

क्रमांक/स्था-1/सत/सी-1/48/सिंगरौली/2018/1207
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18.6.18

श्रीमती उर्मिला मिश्रा
प्राचार्य
शासकीय उ.म.वि. विंध्यनगर
जिला सिंगरौली

विषय:-कारण बताओ सूचना पत्र।

---0---

यह कि शिक्षा सत्र 2018-19 में ग्रीष्मावकाश के उपरांत विद्यालय 15 जून 2018 से प्रारंभ हो चुके हैं। संस्था प्रमुख होने के कारण आपका संस्था में उपस्थित होना अनिवार्य है, इसके उपरांत आप दिनांक 18.06.2018 को बिना अनुमति प्राप्त किए स्वयं के स्थानांतरण हेतु संचालनालय में आयुक्त, लोक शिक्षण के समक्ष उपस्थित हुईं, जो आपकी स्वैच्छाचारिता को दर्शाता है।

आपका उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।

अतः मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-16 के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाता है कि क्यों न आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित की जाए ? आप अपना प्रतिवाद दिनांक 10 जुलाई, 2018 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। निश्चित समयावधि में प्रतिवाद प्राप्त न होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही कर दण्ड अधिरोपित किया जाएगा।

आयुक्त द्वारा आदेशित

20/6/18
(अंजू पवन भदौरिया)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्रमांक/स्था-1/सत/सी-1/48/सिंगरौली/2018/1208
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 18.6.18

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. कलेक्टर जिला सिंगरौली
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण रीवा संभाग रीवा
4. जिला शिक्षा अधिकारी, सिंगरौली की ओर कारण बताओ सूचना पत्र की अतिरिक्त प्रति भेजकर लेख है कि श्रीमती उर्मिला मिश्रा, प्राचार्य को तामील कराकर पावती संचालनालय को भेजें।

20/6/18
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.